

109270 - बार-बार हज्ज करना

प्रश्न

क्या जो आदमी रूचि रखता है और उसके ऊपर कष्ट व कठिनाई की बात नहीं है तो उसके लिए प्रति वर्ष हज्ज करना बेहतर है या कि प्रति तीन वर्ष या प्रति दो वर्ष पर हज्ज करना अच्छा है ?

विस्तृत उत्तर

“अल्लाह तआला ने हर सक्षम मुकल्लफ (हर वह आदमी जो व्यस्क और बुद्धिमान हो) पर जीवन में एक बार हज्ज करना अनिवार्य किया है, और जो इस से अधिक है तो वह नफ़ल है जिसके द्वारा अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त होती है, और नफ़ली हज्ज का किसी संख्या के साथ सीमित होना साबित नहीं है, बल्कि उसका एक से अधिक बार हज्ज करना मुकल्लफ की आर्थिक और स्वास्थ्यिक स्थिति पर निर्भर करता है, तथा उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो रिश्तेदारों और गरीब लोगों की स्थितियों, तथा उम्मत के भिन्न-भिन्न सामान्य हितों और उस व्यक्ति के अपने नफ़्स और अपने धन के द्वारा उनकी मदद करने, तथा उम्मत के अंदर उसके स्थान, तथा उसके अपने निवास या हज्ज वगैरह की यात्रा में उसे लाभ पहुँचाने की तरफ लौटता है, अतः हर एक को अपनी परिस्थितियों को देखना चाहिए और उसके लिए कौन सी चीज़ सबसे अधिक लाभदायक है, तो उसे उसके अलावा पर प्राथमिकता दे।” अंत

“इफ़्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति का फ़तावा” (11/14)

और यदि वह क्षमता रखता है तो उचित यह है कि पाँच वर्ष उसके हज्ज किए बिना न गुज़रे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “अल्लाह तआला फ़रमाता है : एक बंदा जिसे मैं ने शारीरिक स्वास्थ्य दिया है, और उसकी जीविका में विस्तार किया है, उसके ऊपर पाँच वर्ष गुज़र जाए और वह मेरे पास न आए तो वह महरूम (वंचित) और बदनसीब है।” इस हदीस को इब्ने हिब्बान (हदीस संख्या : 960) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने “अस्सिलसिला अस्सहीहा” (1662) में उसकी सभी सनदों को मिलाकर सही कहा है।